

389

स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. आर-20011/1/2012-एनसी-II

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 13 मार्च, 2014

सेवा में,

श्री नूरुद्दीन सिद्दीकी
सामाजिक कार्यकर्ता
छोटा बाजार, कस्बा बुधाना
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।


श्री नूरुद्दीन सिद्दीकी कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय के दिनांक 26.02.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आरटीआई/1248/2014- पीएमआर का अवलोकन करें जिसके साथ सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 07.02.2014 का आवेदन संलग्न था तथा जो वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को 06.03.2014 को प्राप्त हुआ।

2. जहां तक राजस्व विभाग का सरोकार है, दिनांक 07.02.2014 के उपर्युक्त आवेदन के पैरा 5 में मांगी गई सूचना निम्नानुसार है :-

- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम/जारी किए गए आदेश/ अन्य अधिसूचनाएं स्वतः स्पष्ट हैं तथा इन्हें सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया है। ऐसी अधिसूचनाओं की प्रति, देय लागत का भुगतान करते हुए प्रकाशन विभाग भारत सरकार, सिविल लाइंस, दिल्ली- 110054 से प्राप्त की जा सकती है।

3. इसके अलावा उपर्युक्त आवेदन की प्रति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी भिजवाई जा रही है। ताकि वे उनसे संबंधित जानकारी आपको सुलभ करवा सकें।

4. श्री नूरुद्दीन सिद्दीकी का उपर्युक्त आवेदन इस स्तर पर निपटाया गया समझा जा रहा है। तथापि यदि श्री नूरुद्दीन सिद्दीकी उपर्युक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी अर्थात् निदेशक (एनसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 को अपील कर सकते हैं।


(एस.एन. दास)

अवर सचिव (एनसी-II)/ सीपीआईओ

प्रति प्रेषित :

1. आरटीआई सेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001 (श्री नूरुद्दीन सिद्दीकी के उपर्युक्त आवेदन की प्रति सहित)
2. आरटीआई सेल, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

o/c
Issued/13/3/14